

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
----------	---------------------------	----------------------

20/12/23

पञ्जावणी पेक्षा इंडी वकील वादी ने दिनांक 11/11/2023 को जजपत्र वाद विज्ञा किये जाने पेश किया। प्रकरण में पृथक्करण के मध्य राजीनामा ले गया है। कोई विवाद शेष नहीं रहा है वाद को विज्ञा करना चाहता है। प्रतिकारी वकील ने आदेशिका दिनांक 11/11/2023 पर अंकित किया है कि वादी का वाद विज्ञा कर खारिज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। अतः वादी के जजपत्र के आधार पर वादी के वाद को विज्ञा किया जाता है। पञ्जावणी नम्बर से कठ लेकर काद तकरीबत दफतर हो। सुनाया गया।

उपरोक्त अतिवारी  
जयपुर द्वितीय (सायावर)